JALAUN POLICE

दिनांक –23.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादिया श्रीमती कुन्ती पत्नी काशीराम निवासी ग्राम कानाखेडा थाना कदौरा जनपद जालौन एवं उसके पति काशीराम के साथ थाना कालपी क्षेत्रान्तर्गत हुई टप्पेबाजी की घटना में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना कालपी पर मु0अ0सं0 178/17 (वाद संख्या 72/17) धारा 392/411/120बी भादवि बनाम अज्ञात के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 28.08.2017 को अभियुक्त योगेश कुमार दोहरे पुत्र स्व0 रतन सिंह निवासी ग्राम खरका की मढैया थाना औरैया जनपद जालौन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 23.11.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्त योगेश कुमार दोहरे उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।